अनुसूची १४-फारम सं0-४६२

आदेश-पत्रक

(ऐसे अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

आदेश पत्रक - ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १९.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित ३

आयुक्त न्यायालय, कोशी प्रमंडल, सहरसा

आंगनबाड़ी अपील वाद संख्या-214/2012

मंजू झा ..... अपीलार्थी

बनाम

राज्य एवं अन्य .....विपक्षीगण

प्रस्तुत आंगनबाड़ी अपील वाद अपीलार्थी के द्वारा जिला पदाधिकारी, सुपौल के द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.05.2012 विविध वाद संख्या 26/2011 के विरूद्ध रेस्पोण्डेन्ट दाखिल किया गया है।

प्रस्तुत अपील वाद में संक्षेप में मामला यह है कि अपीलार्थी मंजू झा पति ललित कुमार झा पति साकिन मौजहा, थाना किशनपुर, जिला सुपौल के विरूद्ध कुमारी मंजू झा पति सत्यनारायण कुमार समुन, ग्राम सुजानपुर पंचायत मौजहा प्रखंड किशनपुर द्वारा समर्पित परिवाद पत्र जिसमें आरोप लगाया गया बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, किशनपुर के पत्रांक 51 दिनांक 02.05.2008 के द्वारा प्रकाशित सूचना के आलोक में दिनांक 17.05.2008 को सहायिका पर चयन के लिए आवेदन दिया गया परन्तु मुखिया, पंचायत सचिव पर्यवेक्षिका मणि कुमारी अवैध चयनित सेविका एवं मंजू झा का सहायिका के पद पर चयन किया गया जबकि तथाकथित पूर्व आम सभा को उनके चयन के संबंध में कुछ भी दर्ज नहीं है। साथ ही इस आंगनबाड़ी केन्द्र के लिए सर्वेक्षण पंजी कल्पना झा के पति साक्षरताकर्मी एवं अरूण देवी, वार्ड सदस्या द्वारा दिनांक 13.07.2007 को तैयार किया गया है जो कि विभागीय नियमानुसार नहीं तैयार किया गया है। परिवाद पत्र में किए गए प्रार्थना की गई की स्थगित आम सभा दिनांक 04.11.2007 को फर्जी आम सभा घोषित कर फर्जी तरीके से चयनित कल्पना झा सेविका एवं मंजू झा सहायिका का चयन रद्द किया जाय एवं दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई की जाय। उक्त आलोक में सुपौल जिला के किशनपुर प्रखंड के ग्राम मौजहा वार्ड संख्या 03 के आंगनबाड़ी केनद्र संख्या 09 बेला पूर्वी टोला मौजहा में सहायिका के पद पर चयनित आवेदिका मंजू झा को चयन मुक्त कर दिया गया है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता को सुना।

आवेदिका के विज्ञ अधिवक्ता इस क्रम में कथन करते हैं कि इस वाद में विपक्षीगण को ऑफिसियल कैपिसिटी में पक्षकार बनाया गया है साथ ही विपक्षी संख्या 07 को व्यक्तिगत हैसियत से पक्षकार बनाया गया है। आँगनबाड़ी केन्द्र संख्या 09 के सृजन हेतु सर्वेक्षण एवं मैपिंग का कार्य बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, किशनपुर द्वारा कराया गया उसके बाद सेविका/सहायिका पद की प्रक्रिया प्रारंभ की गयी। चयन की प्रक्रिया विभागीय निर्देश के आलोक में पत्रांक 16 दिनांक 27.04.2007 के आलोक में

दिनांक 25.04.2007 से 03.05.2007 तक आवेदन पत्रों की मांग की थी सभी आवेदन पत्र बाल विकास परियोजना पदाधिकारी कार्यालय, किशनपुर एवं पंचायत सचिव के समक्ष समर्पित किया गया। सहायिका पद के लिए तीन अभ्यर्थी ने अपना आवेदन पत्र समर्पित किया, जिसका मेधा सूची तैयार किया गया। उक्त मेधा सूची पर ऑंगनबाड़ी सेविका/सहायिका, चयन समिति एवं आम सभा ने अवलोकन एवं विचार किया साथ ही पंचायत सचिव के द्वारा ऑंगनबाड़ी केन्द्र संख्या 09 के पोषक क्षेत्र का सर्वेक्षण पंजी प्रस्तुत किया गया। चयन समिति एवं आम सभा में भी सर्वेक्षण पंजी का अवलोकन किया जिसमें अभ्यर्थी पोषक क्षेत्र से बाहर के हैं तथा अभ्यर्थी मेधा क्रम निम्न प्रकार है:-

1. अमेरिका कुमारी, पति सूर्य नारायण
2. कुमारी हीरामणी, पति विजय कांत झा
3. मंजू झा, पति ललित कुमार झा

जिसमें क्रमांक 2 एवं 3 पर अंकित अभ्यर्थी पोषक क्षेत्र में आते हैं। उनकी शैक्षणिक योग्यता क्रमशः सप्तम् एवं मध्यमा है।

आवेदिका के विज्ञ अधिवक्ता इस क्रम में कथन करते हैं कि दिनांक 04.11.2007 के आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन हेतु आयोजित आम सभा में पर्यवेक्षिक के रूप में श्रीमति मणि कुमारी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, किशनपुर ज्ञापांक 1343-2 दिनांक 02.11.2007 के आधार पर उपस्थित हुई तथा उनके पर्यवेक्षण में आम सभा की कार्यवाही संपन्न हुई तथा सर्वसम्मति से कल्पना झा को ऑंगनबाड़ी सेविका पद पर तथा मंजू झा को सहायिका के पद पर चयन किया गया जो कार्यवाही पुस्तिका में पंचायत सचिव के हस्तलिखित में है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, किशनपुर के कार्यालय ज्ञापांक 10 दिनांक 27.02.2009 से 06.03.2009 द्वारा 06 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त किया गया। पंचायत कार्यालय, मौजहा के ज्ञापांक संख्या 03 दिनांक 07.03.2009 द्वारा चयन पत्र बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, किशनपुर द्वारा निर्गत किया गया। चयन पत्र मिलने के बाद आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका पद पर कार्य कर रही है। आरोप कर्त्ता कुमारी मंजू को कोई भी आवेदन पंचायत कार्यालय एवं बाल विकास परियोजना कार्यालय में जमा नहीं किया गया था। कल्पना झा एवं मंजू झा का चयन नियमानुकूल हुआ हे जिसकी सहमति पर्यवेक्षिका एवं बाल विकास पदाधिकारी किशनपुर ने भी की है।

जिलाधिकारी, सुपौल द्वारा क्रमशः मैपिंग पंजी एवं सर्वेक्षण सूची, केन्द्र संख्या 09 पर पिछड़ा बाहुल्य वर्ग का अधिक होना, 10 प्रतिशत से कम सर्वेक्षित परिवार की उपस्थिति पर पंचायत सचिव द्वारा दिनांक 08.08.2008 को लिखे पत्र में लिखा गया कि उनसे बीमारी की हालत में आम सभा के कार्यवाही पंजी पर हस्ताक्षर करवाया गया, दिनांक 04.11.2007 को आहूत आम सभा के पश्चात बाल विकास पदाधिकारी, किशनपुर के पत्रांक 10 दिनांक 27.02.2009 के द्वारा कल्पना झा को दिनांक 01.03.2009 से 06.03.2009 के प्रशिक्षण हेतु विलंब से भेजा जाना एवं आदेश के कंडिका 03 में लिखा गया है कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, किशनपुर के द्वारा उक्त का रिक्त मानते हुए दिनांक 14.05.2008 द्वारा स्थगित कर दी गयी जैसे आरोपों के आधार पर आवेदिका मंजू झा, सहायिका को पद से चयन मुक्त कर दिया। जो न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट पाया गया है कि तथा कथित आम सभा दिनांक 04.11.2007 को किया गया जिसमें मात्र 31 व्यक्तियों का उपस्थिति दर्ज कराया गया, जबकि ग्राम सभा में 10 प्रतिशत

उपस्थिति होनी चाहिए थी। तत्कालीन पंचायत सचिव तेजनारायण यादव द्वारा भी दिनांक 08.08.2008 को अनुमंडल पदाधिकारी को समर्पित प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि विवाद हो जाने के कारण आम सभा स्थगित कर दिया गया था। उल्लेखनीय है कि उक्त ग्राम सभा के आधार पर निर्णय एवं उसका कार्यान्वयन एक समय सीमा के अन्तर्गत हो जाना चाहिए, लेकिन इस मामले में उस तथाकथित आम सभा 04.11.2007 को उक्त तथाकथित निर्णय को डेढ़ वर्षो के बाद 27.02.2009 को प्रशिक्षण हेतु भेजा गया। इसमें यह भी तथ्य स्पष्ट है कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा दिनांक 18.05.2008 को प्रश्नगत आंगनबाड़ी केन्द्र का रिक्त मानते हुए रिक्ति की सूचना भेजी गई थी। अतः जिला पदाधिकारी द्वारा सभी परिस्थिति जन्य साक्षों एवं अभिलेखों के अवलोकनोपरान्त उनके द्वारा यह पाया गया है कि श्रीमति मंजू देवी का चयन एक फर्जी तरीके से फर्जी आम सभा द्वारा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, किशनपुर से सॉंठगॉंठ के द्वारा किया गया है। जिला पदाधिकारी ने भी यह पाया कि इस केन्द्र का सर्वेक्षण सूची के आधार पर, बाहुलता पिछड़ा वर्ग का माना है न कि सामान्य वर्ग का। अतः ऑंगनबाड़ी केन्द्र में चयन हेतु बाहुलता वर्ग की अनदेखी के साथ फर्जी ग्राम सभा के आधार पर एक सॉंठगॉंठ के तहत चयन किया गया है, जिसे विधि सम्मत् मान्यता नहीं पाते हुए जिलाधिकारी, सुपौल द्वारा श्रीमति मंजू झा के चयन को रद्द किया गया है। अतः इसमें किसी प्रकार का पुनर्विचार का तथ्य सही नहीं पाते हुए अपीलआवेदन स्वीकृति योग्य नहीं है। अपील आवेदन अस्वीकृत करते हुए अपीलार्थी के चयनमुक्ति का आदेश बहाल रखा जाता है। इस प्रकार वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

आयुक्त,

कोशी प्रमंडल, सहरसा

आयुक्त,

कोशी प्रमंडल, सहरसा